न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :— 04/2020

उनवान

1. मैसर्स मंगलम आर्टस भागीदारान (1) कृष्णकुमार रावत (2) रविन्द्र कुमार रावत (3) अशोक कुमार रावत (4) राजेन्द्र कुमार रावत पुत्रान स्व0 श्री रामनारायण जाति महाजन रजिस्टर्ड ऑफिस 4 गोविन्दनगर आमेर रोड, जयपुर जरिये साझेदार राजेन्द्र कुमार रावत पुत्र स्व0 रामनारायण जाति महाजन निवासी 1/492 मोर कुटीर, खादी ग्रामोघोग रोड सांगानेर जिला जयपुर ।

वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र रतनलाल जाति जाट निवासी ग्राम सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा अन्तर्गत दफा—53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — 1955

निर्णय दिनांक 4.3.2020

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा के आराजी संख्या 1272/5 रकबा 0.6700 है0 भूमि स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 3/67 तथा प्रतिवादी सं0 1 का 64/67 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 से वादी फर्म ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 2310.2019 को उक्त विवादित आराजी में से रोड के लगती हुई पश्चिमी तरफ तथा वादी फर्म की अन्य खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 1280, 1281 की सीमा से लगती हुई है को क्रय किया था जिस पर वादी फर्म काबिज काश्त है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को उक्त विवादित आराजी का विधिवत तकासमा करने को कहा लेकिन प्रतिवादी सं0 1 लगातार कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते आ रहे है तथा अनावश्यक समय निकाल रहे है। वादी के द्वारा अपने कब्जे काश्त के अनुसार एवं मीट्स बाउण्डस के अनुसार उक्त शामलाती भूमि का बंटवारा करने हेतु तथा प्रतिवादी सं01 के द्वारा विधिवत बंटवारा नहीं कराने के कारण यह वाद पत्र पेश किया गया है। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस भूमि का विभाजन किया जाकर 3/67 भग अर्थात 0.03 है0 भूमि फर्म की अन्य दीगर भूमि के लगती हुई पश्चिमी तरफ दियाई जाकर अलग खाता कायम किया जायें ।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहेने पर प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व दिनांक 10.2.2020 को एक तरफा कार्यवाही अमल लाई जाकर वकील वादी के द्वारा दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमत होने पर दिनांक 10.2.2020 को दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से विवादित आराजी का मौका निरीक्षण कर कब्जे कास्त को मध्यनजर रखते हुए तथा सरस नरस के हिसाब से खातेदारान के नाम दर्ज हिस्से अनुसार भूमि के तकासमा हेतु कुर्रेजात रिपोर्ट पेश करने हेतु

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू0अ0 / 2020 / 680 दिनांक 24.2.20 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट मय बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया । वादी की ओर से उनके अधिवकता ने अपनी एक पक्षीय बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर बंटवारा प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

अतः दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिकी किया जाकर वादी/प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1272/5 रकबा 0.6700 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. आराजी खसरा नम्बर 1272/5 रकबा 0.6400 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में रहेगी
2. आराजी खसरा नम्बर 1272/9 रकबा 0.0300 है0 भूमि वादी सं0 1 के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। अनुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.32020 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(…न्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
एवं जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस**

प्रार्थना पत्र संख्या :– **04/2020**

उनवान

1. मैसर्स मंगलम आर्टस भागीदारान (1) कृष्णकुमार रावत (2) रविन्द्र कुमार रावत (3) अशोक कुमार रावत (4) राजेन्द्र कुमार रावत पुत्रान स्व0 श्री रामनारायण जाति महाजन रजिस्टर्ड ऑफिस 4 गोविन्दनगर आमेर रोड, जयपुर जरिये साझेदार राजेन्द्र कुमार रावत पुत्र स्व0 रामनारायण जाति महाजन निवासी 1/492 मोर कुटीर, खादी ग्रामोघोग रोड सांगानेर जिला जयपुर ।

वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र रतनलाल जाति जाट निवासी ग्राम सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा अन्तर्गत दफा–53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 4.3.2020

अतः दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादी/प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1272/5 रकबा 0.6700 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. आराजी खसरा नम्बर 1272/5 रकबा 0.6400 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में रहेगी
2. आराजी खसरा नम्बर 1272/9 रकबा 0.0300 है0 भूमि वादी सं0 1 के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

आज तारीख 4.3.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस			
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान